न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 03/2016 दिनांक 23/04/2016

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष– लुकस उरॉव पिता स्व0 लोहरा उरॉव ग्राम बिकमा बगैरह।

बनाम

द्वितीय पक्ष– भूषण उरॉव पिता स्व0 मतियस मिंज ग्राम विकमा बगैरह।

वाद की कार्यवाही आवेदक श्रीमति लुकस उरॉव एवं विजय उरॉव दोनो के पिता स्व0 लोहरा उरॉव ग्राम बिकमा थाना कामडारा के द्वारा न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल कि जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष भूषण उरॉव पिता स्व0 मतियस मिंज एवं नीलिमा मिंज पति जोजो मिंज कामडारा के द्वारा आवेदक के बन्दोबस्ती भूमि सरकार द्वारा प्राप्त खाता सं0 56 प्लॉट नं9 173 रकबा 0. 08 ए0 की भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा जबरदस्ती एक मकान बनाना शुरू कर दिये है, मना करने पर प्रतिवादी मारने पिटने एवं जान से मारने की धमकी देते है। जिसको लेकर उभय पक्षों के द्वारा शांति भग होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, कामडारा से विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया जो प्राप्त है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष के प्राधिकृत अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि प्रथम पक्ष दिनांक 22/08/1972 ई0 को खाता सं0 56, प्लाटॅ नं0 173, रकबा 0.08 ए0 जमीन सरकार के द्वारा किया गया बन्दोवस्ती वाद सं0 05/71–72 द्वारा सरकार से प्राप्त हुआ है एवं सरकारी मालगुजारी रसीद कटवाते आ रही है। उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में चला आ रहे है। जिसपर विपक्षी को मना करने पर मारने पिटने एवं जान से मारने की धमकी देते है। विपक्षी का यह काम गैरकानूनी है उक्त भूमि पर घर बनाने को लेकर कभी भी शांति भंग हो सकती है। उचित कानूनी कार्रवाई कर उचित फैसला देने की कृपा करें।

प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

(1) वासगीत पर्चा की सत्यापित प्रति।

(2) लगान रसीद की प्रति।

द्वितीय पक्ष के प्रधिकृत अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल किये है कि खाता सं0 56, प्लाटॅ नं0 173, रकबा 0.08 ~~एकड़~~ भूमि खतियान में गेजे उरॉव वल्द तुरी उरॉव वो गोसाई उरॉव बल्द बुदबु उरॉव के नाम से दर्ज है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

23/04/16
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner

...निम्न प्रकार है।

बुचु उरॉव

गोसाई उरॉव

लगड़ा उरॉव — बुधवा उरॉव

मतियुस उरॉव — मार्टिन उरॉव

किशतोफर मिंज — भूषण मिंज, निलिमा मिंज

खतियानी रैयत के पुत्र एवं उनके परिवार लगभग 40–45 वर्षो से रहते आ रहे है। उक्त विवादित भूमि की जमाबंदी (जमाबंदी सं0 05/71–72) प्रथम पक्ष को किस आधार पर किया गया जबकि उक्त भूमि रैयत भूमि है। विवादित भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी कामडारा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष 40–45 वर्षो से घर बना कर रहते आ रहे है एवं द्वितीय पक्ष के हक में जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित है।

द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

(1) उक्त भूमि का पट्टा।

(2) रसीद एवं खतियान।

अंचल अधिकारी, कामडारा का जॉच प्रतिवेदनः–

अंचल अधिकारी, कामडारा के पत्रांक 130/रा0 दिनांक 18/03/2016 का अवलोकन किया गया है। मौजा विकमा थाना सं0 44 खाता सं0 56 प्लॉट सं0 173 कुल रकबा 0.08 ए0 खतियान में गेजे उरॉव वल्द तुरी उरॉव वो गोसाई उरॉव वल्द बुद्धवा उरॉव के नाम से दर्ज है। विपक्षी सं0 01 एवं 02 खतियान रैयत गोसाई उरॉव के परपोता की पत्नी है। खाता सं0 56 प्लॉट सं0 173 कुल रकबा 0.08 ए0 भूमि चालू पंजी ii में जमाबंदी लोहरा उरॉव बल्द बंधना उरॉव के नाम B.P.P.H.T Act वाद संख्या 05/71–72 दिनांक 22/08/71 के अनूसार दर्ज है। सर्वे के पूर्व विपक्षी भूषण मिंज के पूर्वज अपने पुराने मकान जो विवादित भूमि पर बना घर छोड़कर अन्यत्र प्लॉट सं0 92 में मकान बनाकर रहते थे। लुकस उरॉव वो विजय उरॉव दोंनो के पिता लोहरा उरॉव खतियानी रैयत के टूटे हुए मकान जो विवादित भूमि पर अवस्थित है को मरम्मत कर लगभग 0.04 डी भूमि को मकान को सहन के रूप में उपयोग में लाते रहे एवं शेष भूमि लगभग 0.04 डी भूमि पर पुनः खतियानी रैयत गोसाई उरॉव के पुत्र बुधुवा उरॉव एवं उनके परिवार लगभग 40–45 वर्ष पूर्व पुनः मकान बनाकर रहने लगे। विपक्षी भूषण मिंज एवं उनकी पत्नी निलीमा विवादित भूमि के 0.04 एकड़ में से लगभग .01$\frac{1}{2}$ डी0 भूमि जिसे विपक्षी आंगन के तौर पर उपयोग करते है पर नया मकान बना लिए है एवं .02$\frac{1}{2}$ ए0 पर पूर्व से ही पुराना मकान अवस्थित है।

वासगीत अन्तर्गत प्रथम पक्ष को थाना सं0 44 खाता सं0 56 प्लॉट सं0 173 कुल रकबा 0.08 ए0 भूमि प्राप्त है एवं इसी के 0.04 डी0 भूमि पर मकान बनाकर इनके वंशज रह रहे है जबकि 0.08 डी0 भूमि का लगान रसीद इसी आधार पर जमाबंदी कायम करते हुए निर्गत किया गया है। खतियान के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वेलगान भूमि है जिसकी लगान निर्धारण सक्षम पदाधिकरी द्वारा स्वीकृती बिना ही उभय पक्ष का लगान रसीद निर्गत कराने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही श्री लोहरा उरॉव बल्द बंधना उरॉव ग्राम बिकमा को सिकमी दखलकार की हैसियत में लगान निर्धारण बिना ही यह पर्चा बिहार Priviledged Homestead Tenancy Rule 1948 के U/S –5(5) के अधीन दिया गया है।

23/04/16

Scanned by CamScanner

उसी समय से वादी के पिता के नाम पर रसीद कटाते आ रहा है। द्वितीय पक्ष उक्त भूमि की खतियानी रैयत के वंशज है। वंशावली की प्रति जवाब के साथ संलग्न है।

उभय पक्षों द्वारा दाखिल जवाब, राजस्व कागजातो एवं अंचल अधिकारी कामडारा के स्थलीय जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विवादित भूमि थाना सं0 44 खाता सं0 56, प्लॉट सं0 173 कुल रकबा में से 0.4 डी0 जो कि द्वितीय पक्ष की खतियानी भूमि एवं जिसपर उनका घर मकान पूर्व से ही स्थित है के हित में आदेश पारित किया जाता है ।

23/04/16
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

23/04/16
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।

Scanned by CamScanner